बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना

विज्ञप्ति संख्या – पी0आर0 423/2023

(i) +2 स्तर के शिक्षण संस्थानों में कार्यरत शिक्षकों की डायरेक्टरी को ऑनलाईन अद्यतन (Update) एवं अपलोड करने हेतु दिनांक 15.12.2023 तक अवधि विस्तार करने के संबंध में +2 विद्यालय/महाविद्यालय प्रधान के लिए आवश्यक सूचना।

(ii) शिक्षा विभाग द्वारा नवनियुक्त शिक्षक कृपया ध्यान दें

एतद् द्वारा +2 स्तर की शिक्षा प्रदान करने वाले मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों के प्रधान, कार्यरत शिक्षक, नवनियुक्त शिक्षक, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (माध्यमिक) तथा जिला शिक्षा पदाधिकारी को सूचित किया जाता है कि आगामी इन्टरमीडिएट वार्षिक परीक्षा, 2024 की उत्तरपुस्तिकाओं के मूल्यांकन एवं परीक्षा से संबंधित विभिन्न गोपनीय कार्यों के उद्देश्य से +2 स्तर के शिक्षक डायरेक्टरी को अद्यतन (Update) करने हेतु **विज्ञप्ति संख्या–पी0आर0 393/2023 के माध्यम से समिति की वेबसाईट biharboardonline.bihar.gov.in/teachdirinter.biharboardonline.com पर कार्यरत शिक्षकों की विवरणी अद्यतन (Update)/अपलोड करने हेतु दिनांक 25.11.2023 तक अवधि विस्तारित की गई थी।** परन्तु समीक्षा के क्रम में पाया गया है कि अभी भी कतिपय शिक्षण संस्थानों के प्रधान द्वारा अपने +2 विद्यालय/महाविद्यालय में अद्यतन रूप से कार्यरत शिक्षकों की सूची/विवरणी ऑनलाईन अद्यतन/अपडेट नहीं किया गया है।

2. **उल्लेखनीय है कि कतिपय ऐसे शिक्षक जो कई वर्षों से अध्यापन का कार्य कर रहे थे, का शिक्षा विभाग द्वारा वर्ष 2023 में आयोजित अध्यापक परीक्षा के माध्यम से चयन किये जाने के कारण उनके द्वारा अब दूसरे जिला/विद्यालय में नियुक्ति के आधार पर योगदान किया गया है। शिक्षक डायरेक्टरी के अद्यतीकरण के लिए यह आवश्यक है कि ऐसे शिक्षकों से उनके नियुक्ति के विद्यालय प्रधान द्वारा उनके पूर्व में अध्यापन कार्य के विषय में घोषणा पत्र प्राप्त कर समिति के उक्त वेबसाईट पर विहित प्रपत्र के स्तंभ 08 से 20 में अनिवार्य रूप से अपलोड/अद्यतन कर लिया जाय। इसलिए ऐसे नवनियुक्त शिक्षकों की विवरणी निम्नांकित विहित प्रपत्र में अद्यतन/अपलोड किया जाना आवश्यक है :–**

LIST OF WORKING TEACHERS IN COLLEGE/+2 SCHOOL

DISTRICT :

COLLEGE/+2 SCHOOL CODE : CATEGORY OF COLLEGE/+2 SCHOOL: (01-CONTITUENT, 02-DEGREE AFFILIATED, 03-INTER AFFILIATED COLLEGE/+2 SCHOOL, 04-GOVT. +2 SCHOOL)

NAME OF COLLEGE /+2 SCHOOL &
FULL ADDRESS WITH PIN CODE :

NAME OF PRINCIPAL/PRINCIPAL-IN-CHARGE : Contact No. E mail Id-

S.N.	Name of Teacher	Gender	Qualification	Subject (s) of Post Graduation		Date of Joining in Service
				PG-1	PG-2 (Optional)	
01	02	03	04	05	06	07

DETAILS OF TEACHING EXPERIENCE													Date of Birth
Previous							Current						
District	+2 School Code	Name of +2 School	Subject of Appointment	Designation	Date of Joining	Date of Leaving	District	+2 School Code	Name of +2 School	Subject of Appointment	Designation	Date of Joining	
08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

Date of Retirement	Mobile No.	E-Mail ID (Optional)	BANK A/C DETAIL			Aadhar No. (Optional)	Upload Scan Passport Size Photo of Teacher (20KB-50KB)	Upload Scan Full Signature of Teacher (10KB-20KB)	Remarks	Status
			Bank A/C No.	Bank Name	IFSC Code					
22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32

Full Sigature of Principal & Seal

3. वर्णित वर्णित आलोक में नव नियुक्त शिक्षक सहित अन्य सभी शिक्षकों की सूची/विवरणी को ऑनलाईन समिति की वेबसाईट **biharboardonline.bihar.gov.in/teachdirinter.biharboardonline.com** पर अद्यतन (Update)/अपलोड करने हेतु दिनांक 15.12.2023 तक के लिए पुनः अवधि विस्तारित की जाती है। साथ ही वैसे शिक्षण संस्थान के प्रधान, जिनके द्वारा कार्यरत शिक्षकों की सूची ऑनलाईन अद्यतन (Update)/अपलोड नहीं की गई है, को निदेशित किया जाता है कि ऐसे शिक्षकों की सूची निर्धारित समयावधि के अंदर अनिवार्य रूप से ऑनलाईन अद्यतन (Update)/अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे।

4. **स्पष्ट किया जाता है कि केवल मान्यता प्राप्त +2 विद्यालयों/महाविद्यालयों के प्रधान द्वारा ही वैध शिक्षकों का विवरणी ऑनलाईन अद्यतन/अपलोड किया जाएगा। जिन +2 विद्यालयों/महाविद्यालयों की मान्यता/संबद्धता रद्द/निलंबित/वापस ले ली गयी है, वैसे +2विद्यालयों/महाविद्यालयों से वांछित विवरणी कदापि अद्यतन/अपलोड नहीं किया जायेगा।**

5. विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि जिस +2 विद्यालय/महाविद्यालय के प्रधान द्वारा निर्धारित **तिथि 15.12.2023** तक शिक्षकों की सूची समिति की वेबसाईट पर अद्यतन (Update)/अपलोड नहीं किया जाएगा, उनके विरूद्ध कठोर कार्रवाई करने की अनुशंसा सक्षम प्राधिकार को भेज दिया जाएगा और इसके कारण उत्पन्न होने वाली किसी भी समस्या के लिए शिक्षण संस्थान के प्रधान स्वयं जिम्मेवार होंगे।

6. सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी, बिहार से अनुरोध है कि +2 स्तर के सभी शिक्षण संस्थान के प्रधान को अपने +2 विद्यालय/महाविद्यालय में कार्यरत शिक्षकों की सूची/विवरणी को अनिवार्य रूप से ऑनलाईन अद्यतन (Update)/अफ्लोड करने हेतु अपने स्तर से सख्त स्पष्ट निदेश देने की कृपा करेंगे।

7. विज्ञप्ति संख्या–पी0आर0 310/2023 के शेष निदेश यथावत् रहेंगे।

परीक्षा नियंत्रक (उ0मा0)

PR- 12395 (Education) 2023-24

नशे से बनानी दूरी है, क्योंकि परिवार जरूरी है

जिला शिक्षा पदाधिकारी
किशनगंज

नशे से बचने का है एक ही उपचार, दृढ़ संकल्प और

Scanned with CamScanner